(1)

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 126/2020-21

धानेश्वर महतो -बनाम- दुलारचन्द महतो वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
19.11.2020		

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। थाना प्रभारी, निमियॉघाट एवं अंचल अधिकारी, डुमरी से प्रतिवेदन की मॉग की गई। थाना प्रभारी, निमियॉघाट से प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, डुमरी से प्रतिवेदन अप्राप्त। थाना प्रभारी, निमियॉघाट से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों के नाम से नोटिश निर्गत कर कारणपृच्छा की मॉग की गई।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा	चौहदी
खेतको	157	69	168	08डी.	उ.: झरी महतो का परती भूमि द.: तारकेश्वर महतो का मकान पू.: कालीकरण रोड प.: झरी महतो का परती भूमि
खेतको	157	67	166	$37\frac{1}{4}$डी.	

थाना प्रभारी, निमियॉघाट के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता नं. 69, प्लॉट नं. 168, रकवा 08डी. भूमि गैर मजरूआ है, जिसका बन्दोबस्ती प्रथम पक्ष के पिता चेतलाल महतो के नाम से दर्ज है। जिसका चौहदी उ.: झरी महतो का परती भूमि, द.: तारकेश्वर महतो का मकान, पू.: कालीकरण रोड, प.: झरी महतो का परती भूमि है। इसी प्लॉट में द्वितीय पक्ष के दुलारचन्द महतो वगैरह के द्वारा दिवाल देने से विवाद उत्पन्न हुआ है तथा खाता नं. 67, प्लॉट नं. 166, रकवा $37\frac{1}{4}$डी. भूमि जो लालचन्द महतो पिता योधा कुर्मी के नाम पर खतियान दर्ज है। इनके वंशज दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में प्लॉट बाय प्लॉट पर काबिज है। इस प्लॉट पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

➢ प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल किए गए कागजात :-

1. खतियान की प्रति।
2. भू-बन्दोबस्ती केश सं. 124/69-70 की प्रति।
3. आम इस्तेहार की प्रति।
4. घरैया बंटवारानाम की प्रति।
5. माननीय न्यायालय बंटवारा वाद सं. 63/96 की प्रति।
6. लगान रसीद की प्रति।

➢ द्वितीय पक्ष द्वारा जवाब दाखिल किया गया।

विज्ञ अधिवक्ताओं एवं दाखिल किए गए कागजातों के अवलोकनोंपरान्त ज्ञात हुआ कि उभय पक्ष घुपलाल महतो, पिताः लालचन्द

कुर्मी के वंशज हैं। लालचन्द कुर्मी के चार पुत्र हुए - 1. बन्धु महतो, 2. हरखु महतो, 3. कन्हाय महतो एवं 4. डेगलाल महतो। चारों पुत्रों के बीच वर्ष 1955 में घरैया बंटवारा हुआ। घरैया बंटवारा होने के पश्चात सभी पुत्र प्राप्त भूमि पर दखलकार हुए। चेतलाल महतो के नाम से खाता नं. 69 में 33डी. भूमि सरकारी बन्दोबस्ती द्वारा प्राप्त हुई जिसे बंटवारा वाद सं. 63/1996 में चेतलाल महतो के पुत्रों द्वारा बांट लिया गया तथा उक्त भूमि पर दखलकार हुए एवं बंटवारा वाद के आलोक में अंचल अधिकारी, डुमरी द्वारा शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए रसीद निर्गत कर दिया गया। द्वितीय पक्ष बन्धु महतो के वंशज हैं। उनके द्वारा प्रथम पक्ष की बन्दोबस्ती भूमि पर दावा किया जा रहा है। जो कि विधि सम्मत नहीं है।

अतः प्रथम पक्ष के लिए उक्त भूमि को रिक्त किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष को प्रतिबंधित किया जाता है। साथ हीं वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

19.11.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

19.11.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।